

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 30/2020 - केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.....(अ).- केन्द्रीय सरकार, माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (चौथा संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।।

2. केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (3) में, 31 मार्च, 2020 से, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए धारा 10 के अधीन कर संदाय करने का विकल्प लेता है, प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केंद्र के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना को जून, 2020 के 30वें दिन या उससे पूर्व तक फाइल करेगा और नियम 44 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसार प्ररूप जीएसटी आईटीसी-3 में विवरण जुलाई, 2020 के 31वें दिन तक प्रस्तुत करेगा।”।

3. उक्त नियमों के, नियम 36 के उप-नियम (4) में, निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“परंतु कि उक्त शर्त फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, 2020 के महीनों के लिए संचयी रूप से लागू होगी और सितंबर, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की विवरणनी, उक्त महीनों के इनपुट कर प्रत्यय का उपर्युक्त शर्तों के अनुसार संचयी रूप से समायोजन करके प्रस्तुत की जाएगी।”।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण - मूल नियम अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा सा.का.नि. 199(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 16/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा उनका अंतिम संशोधन किया गया था।